छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण कमांक–M-PRO-2018-00143

श्री राजीव कुमार मिश्रा, पिता–श्री चित्रसेन मिश्रा,
पता–मानस विहार, करही,
कलेक्ट्ररेट के पास, मुंगेली,
जिला–मुंगेली (छ.ग.) ..... **आवेदक**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
द्वारा–कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संभाग–बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) ..... **अनावेदक**

आदेश
(दिनाँक–12/12/2018)

आवेदक श्री राजीव कुमार मिश्रा, पिता–श्री चित्रसेन मिश्रा, पता–मानस विहार, करही, कलेक्ट्ररेट के पास, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप–ङ (FORM-M) में अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा, अनावेदक के खमतराई, जिला–बिलासपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एम.आई.जी. क्रमांक–44 रूपये 16,73,000/– क्रय करने हेतु दिनाँक 18.09.2015 को लीज डीड का निष्पादन किया गया था। आवेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन मकान में अनावेदक द्वारा प्रदत्त निर्माण की गुणवत्ता स्तरहीन है और अनावेदक ने पूर्व में किए गए वायदों के अनुरूप सुविधाएँ प्रदान नहीं की है। आवेदक ने उसके द्वारा भुगतान की गई राशि पर समुचित ब्याज तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये।

3. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा दिनाँक 17.09.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन मकान में परिलक्षित संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए आवेदक को इसका कब्जा प्रदान करने का कथन किया गया। न्यायहित में अनावेदक को समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनाँक 17.10.2018

को अनावेदक द्वारा पुनः प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन मकान में परिलक्षित कमियों का समुचित सुधार कर दिए जाने का कथन किया गया तथा प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए गए।

4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदक के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा, प्रश्नाधीन मकान में परिलक्षित समस्त संरचनात्मक कमियों को दूर कर आवेदक की शिकायत का समुचित समाधान किया जा चुका है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। यदि भविष्य में प्रश्नाधीन मकान के संबंध में अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् पुनः कोई संरचनात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है, तो आवेदक प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा